

**बिहार सरकार**  
**बिहार तकनीकी सेवा आयोग**  
19, हार्डिंग रोड, पटना।

**विज्ञापन सं०-06 / 2023**

**डेयरी फिल्ड ऑफिसर/डेयरी टेकनिकल ऑफिसर के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु  
विज्ञापन।**

1. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (गव्य विकास), बिहार, पटना के अन्तर्गत डेयरी फिल्ड ऑफिसर/डेयरी टेकनिकल ऑफिसर के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-14244, दिनांक-16.08.2022 के द्वारा प्राप्त अध्याचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों (जो भारत के नागरिक हों) से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाईट [www.btsc.bih.nic.in](http://www.btsc.bih.nic.in) एवं [www.pariksha.nic.in](http://www.pariksha.nic.in) पर दिनांक-03.05.2023 से 02.06.2023 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

अध्याची विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये रोस्टर के अनुसार डेयरी फिल्ड ऑफिसर/डेयरी टेकनिकल ऑफिसर हेतु पदों की कोटिवार विवरणी, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप से है:-

| पदनाम                                 | वेतनमान  | योग्यता   |
|---------------------------------------|--|---|
| डेयरी फिल्ड ऑफिसर/डेयरी टेकनिकल ऑफिसर | अपुनरीक्षित वेतनमान 5000-8000 /-<br>पुनरीक्षित वेतनमान-9,300-34,800 /-<br>ग्रेड पे-4200 /-<br>लेवल-6 | (i) अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता:- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से बी० टेक० (डेयरी टेक्नोलॉजी)/बी०एस०सी० (डेयरी टेक्नोलॉजी) /दो वर्षों के कार्यानुभव के साथ आई० डी० डी० (डी०टी०/डी०एच०) में उत्तीर्णता एवं एतद् संबंधी प्रमाण-पत्र रहना आवश्यक होगा। |

नोट:-(i) अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अन्तर्गत IDD (DT/DH) के साथ 02 (दो) वर्षों का अनुभव हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र संबंधित (कृषि एवं डेयरी) क्षेत्र के किसी पद पर कार्यरत रहने पर संबंधित संस्थान/विभागों के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है। निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-525, दिनांक-21.04.2023 से प्राप्त मंतव्य के अनुसार संस्थान से अभिप्रेत है कि संबंधित (कृषि एवं डेयरी) क्षेत्र के निजी/सार्वजनिक/अर्धसरकारी/सहकारी/सरकारी संस्थान। उक्त अनुभव प्रमाण-पत्र अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की अर्हता से संबंधित है, इस हेतु अभ्यर्थी को कोई अंक देय नहीं होगा।

(ii) IDD (DT/DH) से तात्पर्य Indian Dairy Diploma in Dairy Technology एवं Indian Dairy Diploma in Dairy Husbandry जो देश के विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थानों से निर्गत हो।

| विभाग का नाम   | पदों की कोटिवार विवरणी।            |                          |               |                 |                    |             |                        |     | स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए | दिव्यांग हेतु |
|--|------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------|------------------------|-----|---|---------------|
|  | अनारक्षित                          | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | पिछड़े वर्गों की महिला | कुल |   |               |
|  | 35% महिलाओं के लिए शैक्षणिक आरक्षण |                          |               |                 |                    |             |                        |     |   |               |
| पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (गव्य विकास), बिहार, पटना। | 13                                 | 03                       | 12            | 01              | 07                 | 02          | 02                     | 40  | 01  | HH-01         |
|  | 04                                 | 01                       | 01            | 00              | 02                 | 01          | --                     | 09  |   |               |

नोट-(i) दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शायी गयी है:- VH- दृष्टि दिव्यांग, HH- मूक बधिर दिव्यांग, OH- चलन दिव्यांग, MH- मनोविकार/बहुदिव्यांग।

(ii) काउंसलिंग के पूर्व अध्याची विभागों से प्राप्त होने वाली अध्याचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

2. आयु सीमा:- (i) 01.08.2022 को न्यूनतम आयु:- 21 वर्ष।

अधिकतम उम्र सीमा:-

(a) अनारक्षित:-37वर्ष

- (b) अनारक्षित महिला:-40 वर्ष  
 (c) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला):-40 वर्ष  
 (d) अनु० जाति/अनु० जनजाति (पुरुष/महिला):-42 वर्ष

आयोग द्वारा Matriculation या समतुल्य प्रमाण-पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जायेगी।

- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- (iii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं पत्रांक-13107, दिनांक-20.09.2019 के आलोक में, ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक) जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा के 5 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य हैं।
- (iv) अंतिम नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में उम्र सीमा की गणना हेतु कट ऑफ तिथि 01.08.1999 निर्धारित था। अतः वैसे उम्मीदवार जो दिनांक-01.08.2000 से 01.08.2022 तक अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते थे और अद्यतन अन्य अहर्तायें पूरी करते हैं, वे भी योग्य पात्र होंगे।
- (v) पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत गव्य विकास निदेशालय में संविदा पर डेयरी फिल्ड ऑफिसर/डेयरी टेकनीकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत कर्मियों को कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जायेगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जायेगा। उक्त छूट की गणना Cut-off date दिनांक-01.08.2022 तक की जाएगी।
- (vi) किसी अभ्यर्थी को कंडिका-2(ii), (iii), (iv) एवं 2(v) में से कोई एक ही छूट अधिकतम आयु सीमा में देय होगा।

नोट:-जन्म तिथि के आधार पर 60 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित नहीं किया जा सकेगा।

### 3. चयन की प्रक्रिया:-

|              |   |                |
|--------------|---|----------------|
| i            | तकनीकी शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक हेतु  | 65 अंक         |
| ii           | बिहार सरकार के विभागों में अनुबंध/संविदा पर कार्यानुभव हेतु (एक वर्ष के लिये 5 अंक, अधिकतम 25 अंक) किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में 05 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा। | 25 अंक         |
| iii          | बिहार राज्य में अवस्थित तकनीकी महाविद्यालय/संस्थानों से उत्तीर्ण तकनीकी योग्यताधारी हेतु  | 10 अंक         |
| <b>कुल:-</b> |   | <b>100 अंक</b> |

नोट:-(i) किसी अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला अंकों का अवधारण अनिवार्य अर्हता में वर्णित तकनीकी शैक्षणिक कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.65 के गुणक से गुणा करके होगा। अर्थात्, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो, तो उसे  $50 \times 0.65 = 32.5$  अंक दिये जायेंगे।

(ii) अभ्यर्थी, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अर्थात् दिनांक:-03.05.2023 तक संविदा के आधार पर डेयरी फिल्ड ऑफिसर/डेयरी टेकनीकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत होने का कार्यानुभव प्रमाण-पत्र, जो निदेशक (गव्य), पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत हो ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करेंगे। आवेदन में कार्यानुभव का दावा नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक देय नहीं होगा। कार्यानुभव अवधि की गणना 03.05.2023 तिथि तक ही की जायेगी।

(iii) कार्यानुभव प्रमाण-पत्र हेतु परिशिष्ट-1 में प्रारूप (Format) संलग्न किया गया है। इस प्रारूप में ही कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिये जाने पर कार्यानुभव के अंकों एवं आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। इस प्रारूप से अलग किसी अन्य प्रारूप में कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिये जाने पर अंकों का लाभ देय नहीं होगा।

### 4. आरक्षण:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।

(iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

(a) जाति प्रमाण-पत्र

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र

(B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

(a) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र

(C) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

(a) आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र

उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा।

नोट:- (i) केवल जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र से इतर अन्य जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या-673, दिनांक-08.03.2021 के आलोक में महिला अभ्यर्थियों हेतु जाति (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु) पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। साथ ही इस प्रसंग में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-15760, दिनांक-02.09.2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जायेगी।

(iii) आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए बैध माना जायेगा।

#### आरक्षित कोटि

| क्र० सं० | आरक्षित कोटि                   |
|----------|--------------------------------|
| 1.       | अनुसूचित जाति (SC)             |
| 2.       | अनुसूचित जनजाति (ST)           |
| 3.       | अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)       |
| 4.       | पिछड़ा वर्ग (BC)               |
| 5.       | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) |
| 6.       | पिछड़े वर्गों की महिला (WBC)   |

(iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण का अंकण आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव पंजीकरण के उपरांत नहीं किया जा सकेगा। दावा किये गये कोटि से इतर कोटि का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा उक्त संकल्प के Appendix-1 में संलग्न विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र मान्य किया जायेगा, जिसे upload किया जाना एवं Online आवेदन के विहित कॉलम में दिव्यांगता का दावा करना आवश्यक होगा। अन्यथा दिव्यांगता (निःशक्तता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम

प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-13185, दिनांक-03.09.2015 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षेत्रीय आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-11687, दिनांक-30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। **(स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)**
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के 2342, दिनांक-15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35% क्षेत्रीय आरक्षण देय होगा।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144, दिनांक-28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में आरक्षित कोटि/निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी के पोता-पोती, नाती-नतीनी/कार्यानुभव का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।
- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-12722, दिनांक-12.09.2014 के आलोक में किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेंडर (थर्डजेंडर) को पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

5. **आवेदन शुल्क:-** (i) Online आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नवत् है:-

| क्र०सं० | उम्मीदवार की कोटि  | आवेदन शुल्क |
|---------|--|-------------|
| 1       | सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग     | रु० 200/-   |
| 2       | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)             | रु० 50/-    |
| 3       | आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी) | रु० 50/-    |
| 4       | राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला/पुरुष हों।      | रु० 200/-   |

- (ii) सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के एक चौथाई जमा करना होगा, अर्थात् अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 200 रूपया निर्धारित है, तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 50 रूपया परीक्षा शुल्क देय होगा।
- (iii) अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग या एस. बी. आई के ई-चलान के माध्यम से जमा किया जायेगा एवं रसीद की प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जायेगा।
- (iv) ऑनलाईन भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।
- (v) अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद को प्रिन्ट कर ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम में अंकित करेंगे।
- (vi) वैसे सभी कोटि के अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा करते हैं, और भविष्य में उनके द्वारा संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे यदि स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी।

6. महत्वपूर्ण निर्देश:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन-पत्र के विहित कॉलम में अपने सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र की प्रति तथा आरक्षण से संबंधित सूचना की प्रविष्टि कर सभी वांछित प्रमाण-पत्र विहित कॉलम में Upload करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी प्रमाण पत्र Upload नहीं किये जाने पर अभ्यर्थिता रद्द करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
  - (ii) ऑनलाइन आवेदन में किये गये प्रविष्टि के अनुसार काउंसलिंग के समय मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  - (iii) कंडिका-3(ii) के अन्तर्गत कार्यानुभव का दावा करने वाले उम्मीदवारों द्वारा संविदा के आधार पर डेयरी फिल्ड ऑफिसर/डेयरी टेकनीकल ऑफिसर पर कार्यरत होने का कार्यानुभव प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-I में संलग्न प्रारूप में) निर्गत करने के लिए निदेशक (गव्य), पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना सक्षम प्राधिकार होंगे।
7. विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण-पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा काउंसलिंग के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र का स्वअभिप्रेमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
8. योग्यता संबंधी सभी प्रमाण-पत्र यथा- शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र, कार्य अनुभव हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किया है। उक्त सभी प्रमाण-पत्रों के निर्गत होने की तिथि 02.06.2023 के पूर्व का होना आवश्यक है।
9. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत करने/त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अलग से कोई भी प्रमाण-पत्र, आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
10. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट [www.btsc.bih.nic.in](http://www.btsc.bih.nic.in) एवं [www.pariksha.nic.in](http://www.pariksha.nic.in) पर प्रकाशित की जाएगी। अतः अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट का सतत निरीक्षण करते रहेंगे। अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाने, S.M.S अथवा E-mail के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किये जाने की बाध्यता नहीं होगी।
11. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग मुद्रित, टंकित, हस्त लिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किये जायेंगे।
12. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेंगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। ऑनलाइन आवेदन में सुधार हेतु किसी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं वैसे आवेदनों को निरस्त कर दिया जायेगा।
13. आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी को काउंसलिंग कराना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः काउंसलिंग कराने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु इस संदर्भ में आयोग का निर्णय मान्य होगा।
14. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-
- (i) ऑनलाइन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी चालान की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेंगे।
  - (ii) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा-निर्देश का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने एवं ऑनलाइन आवेदन

- भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- (iii) अभ्यर्थी, अपना नाम, जन्म तिथि, कोटि, आवेदन शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करेंगे।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।
- (v) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं ऑनलाईन शुल्क जमा करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।
- (vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (vii) **फोटोग्राफः—** (क) आवेदक/अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए। (तीन माह के अंदर का)  
(ख) आवेदक/अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आँख खुला होना चाहिए।  
(ग) बैंकग्राउण्ड में सफेद पटल होना चाहिए। फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा हटाकर फोटो खिंचवायेंगे।  
(घ) कंडिका-15(vii)(क)(ख)(ग) में वर्णित निर्देशों के अनुरूप फोटो नहीं रहने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
- (viii) अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा माँगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (ix) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसी त्रुटियों की स्थिति में अभ्यर्थी तुरंत पूर्व में डाउनलोड किये गए चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि के अंदर नगद भुगतान कर आवेदन भरने की कार्रवाई करेंगे।
- (x) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बीच की अवधि में अधियाची विभाग के द्वारा/राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा आयोग के निर्णय के आलोक में विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है।
- नोटः—1.** अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी/जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेगें अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण-पत्र फर्जी पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

800/21.4.2027

उप सचिव,

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

## परिशिष्ट-I

संस्थान/कार्यालय का नाम:-.....

### अनुभव प्रमाण-पत्र

ज्ञापांक:-.....

दिनांक:-.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पिता/पति..... पता .....

..... की नियुक्ति विभागीय अधिसूचना/कार्यालय आदेश सं०-.....  
दिनांक-..... द्वारा संविदा के आधार पर ..... (पदनाम)  
के पद पर नियुक्ति के पश्चात ..... (कार्यालय का  
नाम) में..... (पदनाम) के रूप में दिनांक- ..... से .....  
तक पदस्थापित एवं कार्यरत हैं/थे।

इनका प्रतिमाह वेतन/मानदेय ..... की दर से भुगतान  
किया जाता है/था।

कार्यालय मुहर

(हस्ताक्षर)

निर्गत करने वाले सक्षम  
पदाधिकारी का पूरा नाम:-.....

पदनाम:-.....

प्रशासी विभाग का नाम:-.....